न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 33/2015/डिक्री

रामेश्वर लाल पिता हीरालाल कुलमी पाटीदार
निवासी टाटरमाला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. भगतराम पिता हीरालाल कुलमी
   निवासी टाटर माला हाल मुकाम कामलियो का खेडा तहसील जावद जिला नीमच।
2. देऊबाई पुत्री हीरालाल कुलमी पत्नि बापूलाल कुलमी पाटीदार
   निवासी जीवनपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3. मांगीलाल पिता रोडीलाल कुलमी पाटीदार
   निवासी टाटरमाला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ
4. बद्रीलाल पिता रोडीलाल कुलमी पाटीदार
   निवासी टाटरमाला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ
5. राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 20.04.2015 प्रकरण सं. 248/2009

उपस्थित – 1. श्री अनुराग ओझा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1,3,4

निर्णय दिनांक– 04.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 से 5 के खिलाफ इस आशय का पेश किया कि मौजा टाटरमाला तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 146 के आराजी नम्बर 145,146,147,148,180,193,194 आराजी नम्बर 237,246,247,250,471/174, 472/180 कुल किता 13 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा तथा चाह नम्बर 148,233,242 है। दावे के अनुासर उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है। मौके पर शामलाती कब्जा है। यह भूमि हीरालाल पिता नाथु कुलमी की खातेदारी की थी जिनका 1/2 हिस्सा था तथा मांगीलाल

बद्रीलाल पिता रोडी का 1/2 हिस्सा है। पूर्व मे यह आराजीयात हीरालाल और रोडीलाल के पिता नाथुलाल के नाम पर थी और हीरालाल के दो पुत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 हुए तथा रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 हीरालाल की पुत्री है। रोडीलाल के पुत्र भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 है। दावे के कथनानुसार वादी अरसे दराज से टाटरमाला की सकूनत तर्क कर कामरिया बरखेडा तहसील जावद जिला नीमच मे निवास कर रहा है और टाटर माला की उक्त जमीन पर उसके पिता हीरालाल और अपीलान्ट काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बरखेडा कामरिया मे आता जाता रहता है और हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। चूंकि यह जमीन शामलाती खातेदारी मे है इसलिये वादी ने प्रतिवादी से बंटवाडा चाहने हेतु कहा जिस पर वे इंकार हो गये इसलिये यह दावा बंटवाडा का पेश किया। विवादित भूमि मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से से इंकार किया और उसमे यह भी उल्लेख किया कि उसके पिता हीरालाल ने उसके पक्ष मे एक वसीयतनामा निष्पादित किया और यह कुलिया आराजीयात अपीलान्ट के हिस्से मे रखी तथा जवाब दावे मे यह भी कथन किया किय विवादित आराजीयात के अलावा आराजी नम्बर 149,150,151,181,184,240,245,254 कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा यह भूमि हीरालाल पिता नाथुलाल की थी और हीरालाल ने यह भूमि वादी के हिस्से मे दी थी और बाद मे हीरालाल और वादी ने मिलकर यह भूमि 2 लाख 75000/– रू0 मे रोडीलाल पिता नाथुलाल को विक्रय कर दी और कुलिया धन भी रोडीलाल से वादी ने प्राप्त किया। अपीलान्ट के पिता ने दिनांक 04/12/2004 को एक वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित किया जिसमे इन सभी तथ्यो का उल्लेख किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो के अभिवचनो पर तनकी कायम कर गवाह सबूत लेकर वादी का दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया और प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारीज कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर वादी ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण मे दिनांक 01/11/2012 को तनकियात कायम की इसके बाद दोनो पक्षो की साक्ष्य उक्त प्रकरण मे प्रस्तुत हुई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण मे किसी भी तनकी बाबत् फैसला नही किया और जाप्ता दिवानी आज्ञापक प्रावधान आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के तहत प्रत्येक वाद विषय पर निर्णय प्रदान करेगा, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना कर जो निर्णय पारित किया है व विधि के विरूद्ध है। वादी ने वसीयतनामा प्रदर्श ए 1 पर अपने पिता के हस्ताक्षर

होने के तथ्य को स्वीकार किया है और वसीयतनामे के गवाह डी डब्ल्यू 2 हीरालाल पिता भवानीराम के बयान को भी नही पढा है जो वसीयत का अटेस्टिंग विटनेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को बगैर एप्रिशिएट किए कयासी दलीलो के आधार पर जो निर्णय दिया है। वह निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी साक्ष्य को भी सही ढंग से एप्रिशिएट नही किया है और वसीयतनामे के बिन्दू पर प्रतिवादी से कोई जिरह वादी द्वारा नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने शपथ पत्र मुख्य परीक्षण के रूप मे प्रतिवादी का और गवाह का शपथ पत्र पेश किया उस पर वसीयतनामे के सम्बन्ध मे कोई जिरह नही की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श वसीयतनामे को साबित नही मानकर अपने अधिकारो को दुरूपयोग किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट आपस मे भाई है तथा देऊबाई उनकी बहिन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 सहखातेदार है। विवादग्रस्त भूमि मे अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रश्नगत भूमि मे 1/2 हिस्सा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता श्री हीरालाल की मृत्यु दिनांक 21/06/2009 को हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 26 पर प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का उल्लेख है जिसके पैरा 2 मे अन्य भूमि हीरालाल द्वारा श्री रोडीलाल को बेचे जाने का उल्लेख है। श्री हीरालाल द्वारा की गई वसीयत दिनांक 04/12/2004 के अनुसार उक्त भूमि श्री रामेश्वर के हक मे की गई है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श–ए 1 के रूप मे उपलब्ध है। वसीयत के गवाह श्री भगतराम की साक्ष्य भी हुई है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 15 पर है। इस प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 5 तनकियात कायम की गई है। निर्णय तनकीवार नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि विरासतन इंतकाल संख्या 429 दिनांक 20/11/2009 हीरालाल के तीनो पुत्र पुत्रियो के नाम खुल चुका है। यह एक पैतृक सम्पत्ति है जिसमे सबका हक है। काउन्टर क्लेम को पूर्ण रूप से खारीज किया गया

है। वसीयत की भाषा उचित नही है। किसी भी गवाह के बयान से 2.75 लाख रू. की राशि भगराम को दिया जाना प्रमाणित नही होता है तथा न ही इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज ही पेश हुआ। मात्र मध्यप्रदेश की भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं बयनामा पेश हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत निर्णय नही किया गया है तथा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज का यथास्थान उल्लेख भी नही किया गया है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 248/2009 मे पारित निर्णय दिनांक 20/04/2015 अपास्त कर प्रकरण तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ